भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5221

04.04.2022 को उत्तर के लिए

बायो-डाइजेस्टर इकाइयां

5221. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:
डॉ. संजीव कुमार शिंगरी:
श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट शोधन और बायोगैस उत्पादन की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रभावी सूक्ष्मजीव बायो-डाइजेस्टर इकाइयों की स्थापना की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई प्रायोगिक परियोजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इन इाकइयों को कम कीमत पर किसानों को उपलब्ध कराने के संबंध में शोध किया है ताकि उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पराली जलाने की समस्या को कम किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग) : ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण, संचालन और रखरखाव की सुविधा के लिए स्वयं या निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ या किसी भी एजेंसी के माध्यम से ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाकर तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करते हुए करेंगे। परिवहन लागत और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी जाएगी जैसे:

- जैव-अवक्रमणीय अपशिष्टों के जैव-स्थिरीकरण के लिए जैव-मिथेनीकरण, सूक्ष्म जैविक कम्पोस्टिंग, वर्मि-कम्पोस्टिंग, एनीरोबिक पाचन या कोई अन्य उपयुक्त प्रसंस्करण;
- अपशिष्ट के दहनशील अंश के लिए रिफ्यूजड डिराइव्ड फ्यूल सहित अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त करना या ठोस अपशिष्ट आधारित विद्युत संयंत्रों या सीमेंट भट्ठों में कच्चे माल के रूप में अपशिष्ट की आपूर्ति करना;

इसके अलावा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वदेशी प्रौद्योगिकियों और नवीन अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के मूल्यांकन के लिए अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति का भी गठन किया है। समिति ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया है।

संपीडित बायोगैस संयंत्र धान की पराली का उपयोग कर इसे बायोगैस में परिवर्तित कर सकते हैं। ये संयंत्र पराली जलाने की घटनाओं को कम कर सकते हैं। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, संपीड़ित बायोगैस के उत्पादन के लिए संयंत्रों को भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सतत (किफायती परिवहन हेतु सतत विकल्प) योजना के तहत समर्थन दिया जा सकता है।

*****